

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 253] नई दिल्ली, बुधवार, जून 20, 1979/ज्येष्ठ 30, 1901
No. 253] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 20, 1979/JYAISTHA 30, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

भ्रम मंत्रालय

अधिलेखना

नई दिल्ली, 20 जून, 1979

का०घा० 351(अ).—कर्सचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948(1948 का 34) की धारा 1 उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा जून 1979 के 24वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध राजस्थान राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे प्रयोज्य :—

"1. अलवर की उन बड़ी हुई सीमाओं, जिनको राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ० 1(2) एल० एम० जी० (63) 63948—958 दिनांक 30 अप्रैल, 1976 द्वारा 13 मई 1976 को राजस्थान राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, के भीतर आने वाले क्षेत्र।

2. जिला और तहसील अलवर के बेलका, बेरका, पालका, छतरपुर, इतराना, खुन्वापुरी और जरेडा ग्रामों की राजस्व सीमाओं में आने वाले क्षेत्र।

3. जिला अलवर तहसील रामगढ़ के गोलेटा, कमालपुर तथा डाडोली ग्रामों की राजस्व सीमाओं में आने वाले क्षेत्र।"

[सं० एल०-38013/8/79-एच०आई०]

हंसराज छाबड़ा, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 1979

S.O. 351(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoint the 24th day of June, 1979 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Rajasthan namely :—

- "(1) The area covered by extended Municipal limits of Alwar as notified in Rajasthan State Government Notification No. F-1(2) LSG (63) 63948—958, dated 30th April, 1976 published in Rajasthan Gazette, Part 6(A) dated 13th May, 1976.
- (2) The areas within the revenue limits of the villages Belaka, Berka, Palka, Chatarpur, Itarana, Desula, Ghegholi, Naharpur, Goondpur, Kamala, Diwakari, Khudanpuri and Jhareda in Tehsil Alwar, District Alwar; and
- (3) The areas within the revenue limits of the villages Goleta, Kamalpur and Dhadholi in Tehsil Ramgarh, District Alwar."

[No. S. 38013/6/79-HI]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.